शिक्षक का नाम	विषय	वर्ग	पाठ का शीर्षक
रजनी कुमारी	समाजशास्त्र	UG Sem-III	घरेलू हिंसा

समाजशास्त्र विभाग
गोड्डा कॉलेज गोड्डा

समाजशास्त्र विभाग
गोड्डा कॉलेज, गोड्डा
सेमेस्टर - 02, कोर - 04

1. * घरेलू हिंसा —

घरेलू हिंसा एक्ट 2005 में पारित हुआ है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध करना है।

* घरेलू हिंसा क्या है ?

* शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, अपमान या तिरस्कार करना, मौखिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात् जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना, मानसिक रूप से परेशान करना ये सभी घरेलू हिंसा कहलाता है। इसके अलावा खाना न देना, किसी से मिलने न देना, मायके वालों को ताना मारना, दहेज की मांग करना, चोटी को लेकर ताना मारना, शक करना, घरेलू खर्चे न देना, जैसे तमाम मामले शामिल हैं।

यह अधिनियम केवल शादी-शुदा महिला पर ही लागू नहीं होता है बल्कि किसी भी महिला पर लागू होता है। बहनें, माता, भाभी, आदि भी इस एक्ट के तहत आती हैं।

इस अधिनियम के तहत महिला किसी भी वयस्क पुरुष के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। रिश्तेदारों में पुरुष एवं महिला रिश्तेदार दोनों शामिल रहते हैं।

घरेलू हिंसा की शिकायत का अधिकार केवल पीड़ित महिला को ही नहीं है। पीड़ित महिला की ओर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकती है।

घरेलू हिंसा की शिकायत किसी भी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट और सेवा प्रदाता के समक्ष की जा सकती है। या फिर महिला थाना में भी जा सकती है। यह कानून बहुत अच्छा है लेकिन वास्तव में पुलिस इस कानून का सही तरीके से पालन करती नहीं पायी जाती है अक्सर।

Scanned with CamScanner

समाजशास्त्र विभाग
गोड्डा कॉलेज, गोड्डा
सेमेस्टर - 02, कोर - 04

सफेदपोश अपराध क्या है ?

* सफेदपोश अपराध आर्थिक रूप से प्रेरित अहिंसक व्यापार
और सरकार के पेशेवरों द्वारा प्रतिबद्ध अपराध को दर्शाता है।
अपराध के भीतर यह पहली बार 1939 में समाजशास्त्री सदरलैंड
द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस अपराध के तहत धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी
पोंजी योजनाओं, इनसाइडर ट्रेडिंग, श्रम धमकी देकर मांगना, गबन,
साईबर अपराध के तहत कॉपीराइट का उल्लंघन करना, काले धन को
सफेद करना, पहचान की चोरी, जालसाजी आदि आते हैं।

* ब्लू कॉलर अपराध - इन अपेक्षाकृत अकुशल वातावरण में कार्यरत
हैं और भीतरी शहर के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जो
स्थितियों में, जहाँ बड़ी वित्तीय लेन-देन होते हैं और ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ
रिश्तेदार समृद्धि है में रहते हैं मे काम से फायदा उठाने के लिए
अवसर कम है।

* कॉर्पोरेट अपराध - कॉर्पोरेट अपराध पूरे कंपनी के साथ संबंधित
है। निदेशकों या व्यक्तियों, जो कंपनी या निगम में उच्च पदों पर हैं
यह अपराध उनको ज्यादा लाभ करते हैं।

* राज्य कॉर्पोरेट अपराध - एक राज्य और एक निगम के
बीच समझौते की बातचीत में दोनों पक्षों पर एक अपेक्षाकृत
वरिष्ठ स्तर पर किया जायेगा। यह विशेष रूप से लगभग एक
सफेद कॉलर स्थिति जो अपराध के लिए अवसर प्रदान करता है।

* व्यवसायिक अपराध - इसके दो सबसे आम प्रकार हैं।
चोरी और धोखा धड़ी।

चुंकि सफेदपोस अपराध सरकार ही अन्य लोगों से मिलकर
करती है। इसलिये इसे पकड़पाना काफी कठिन है। कोयला घोटाला
मामले में नौकरशाहों की संलिप्तता से जुड़े मामले को देख रही
दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि समाज में ऊँचा दर्जा रहने
सफेदपोश लोगों द्वारा किये जाने वाले अपराधों की अपराधिता
के पहचान करना बेहद मुश्किल काम है।

Scanned with CamScanner

समाजशास्त्र विभाग
गोड्डा कॉलेज, गोड्डा

Page No.:
Date:

सेमेस्टर-02 कोर-03

* अवलोकन - अवलोकन से आशय है - आँखों से देखना। इस प्रकार अवलोकन वह प्रणाली है जहाँ अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आँखों से उन घटनाओं को देखता है और जानकारी प्राप्त करता है। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अवलोकन पद्धति का प्रयोग कई विद्वानों ने किया है। जॉन हॉवर्ड ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं का, फ्रेडरिक लीप्ले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभावों का तथा चार्ल्स बूथ ने लन्दन के श्रमिकों का अध्ययन सहभागी अवलोकन पद्धति द्वारा कर 'दि लाइफ एण्ड लेबर ऑफ दि पीपुल ऑफ लंदन' नामक पुस्तक 17 खंडों में प्रकाशित की।

अवलोकन पद्धति की विशेषताएं :-

(1) प्रत्यक्ष पद्धति - अवलोकन सामाजिक शोध की प्रत्यक्ष पद्धति है।

(2) सूक्ष्म गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन - अवलोकन अध्ययन की वह विधि है जिसमें अध्ययन विषय एवं घटना का अति सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें घटनाओं की वास्तविक प्रकृति, उनकी गंभीरता, विस्तार एवं परस्पर सम्बन्धों का सूक्ष्म अवलोकन करके ही वास्तविक तथ्यों का संकलन किया जाता है।

(3) वैज्ञानिक पद्धति - अन्य पद्धतियों की तुलना में अवलोकन पद्धति अधिक वैज्ञानिक है।

(4) विश्वसनीय सामग्री - इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनाओं एवं तथ्यों को उसके स्वाभाविक रूप से घटित होते देखकर संकलित करता है।

(6) सामूहिक व्यवहार का अध्ययन (7) कार्य-कारण संबंध का पता लगाना (8) मानव इन्द्रियों का प्रयोग (9) प्रयोगपूर्ण अध्ययन (10) प्राथमिक सामग्री का संकलन (11) विचारपूर्वक किया जाने वाला अध्ययन

समाजशास्त्र विभाग
गोड्डा कॉलेज गोड्डा

समेस्टर 02 कोर - 03

सामाजिक अनुसंधान का अर्थ -

(1) सामाजिक अनुसंधान दो शब्दों सामाजिक
अनुसंधान से बना है। अनुसंधान का अर्थ खोज करना होता है।
+ अनुसंधान वह व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों
के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, इसका विकास अथवा
किसी नये तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान कोष में वृद्धि की जाती
है। स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं सिद्धान्तों के सम्बन्ध
में नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाई गयी वैज्ञानिक
पद्धति ही सामाजिक अनुसंधान है।
* मोजर के शब्दों में "व्यवस्थित जानकारी जो सामाजिक घटनाओं
सामाजिक समस्याओं के सम्बन्ध में की जाती है।"
* यंग के अनुसार 'सामाजिक तथ्य परस्पर - संबंधित प्रक्रियाओं
की विधिवत खोज और विश्लेषण सामाजिक शोध है।'

सामाजिक अनुसंधान का महत्व - संसार अनेक रहस्यों
से भरा पड़ा है। मानव जिज्ञासु प्राणी है जो इन रहस्यों का
अध्ययन करना चाहता है। सामाजिक जीवन और घटनाओं को
उद्घाटित करना सामाजिक शोध की मूल आत्मा है—
(1) अज्ञानता का नाश - अनुसंधान विभिन्न सामाजिक
घटनाओं के सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान देकर इन घटनाओं के
सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान देकर उन हमारे अज्ञान दूर करता
है।
(2) ज्ञान की प्राप्ति (3) वैज्ञानिक अध्ययन (4) भविष्यवाणी
करने में सहायक (5) समाज कल्याण (6) समाज सुधार में
सहायक।

सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं —
(1) सामाजिक जीवन से सम्बंधित (2) पारस्परिक सम्बन्धों
की खोज (3) विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति (4) सामाजिक प्रगति
में सहायक (5) नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज

Scanned with CamScanner